बालिका शिक्षा

राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति गम्भीर चिन्ता का विषय है । आजादी से पूर्व बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, फलस्वरूप केवल समृद्ध परिवारों की बालिकाएं ही शिक्षा ग्रहण करती थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामान्य शिक्षा के साथ–साथ बालिका शिक्षा के विकास के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बालिका शिक्षा की दर में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है । सन् 1951 में राज्य का महिला साक्षरता प्रतिशत 3 था जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढकर 44.34 प्रतिशत हो गया है । राज्य में बालिका शिक्षा की दर में वृद्धि हेतु किये गये प्रमुख प्रयास निम्नलिखित है –

1. 6–11 आयुवर्ग की 47.23 लाख तथा 11–14 आयु वर्ग की 12.59 लाख बालिकाएं विद्यालयों में नामांकित है ।

2. राज्य में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत कुल लगभग 312945 अध्यापकों में लगभग 91894 महिला हैं ।

3. बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर बालिकाओं के लिए पृथक शिक्षण हेतु विद्यालयों का विस्तार किया गया है। सत्र 2006–07 में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत 4098 क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1265 बालिकाओं के उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए गए हैं।

4. मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार – यह योजना वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ की गई थी । योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं अन्ध विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2000/– रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है । वर्ष 2005–06 में 66 बालिकाओं को लाभान्वित कर 132000/– रुपये की राशि का वितरण किया गया । सत्र 2006–07 में 97 बालिकाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनको आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5. आपकी बेटी योजना – माननीय वित्त मंत्री महोदया (माननीय मुख्यमंत्री महोदया) के परिवर्तित बजट भाषण 2004–05 के बिन्दु संख्या 48 की अनुपालना एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(18)शिक्षा–1/प्रारम्भिक शिक्षा/बाशि2004 दिनांक 22.2.05 के अनुसार उक्त योजना वर्ष 2004–05 में प्रारम्भ की गई । योजनान्तर्गत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की है तथा जिनके माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो ऐसी बालिकाओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत रहने पर 1100/– रुपये तथा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने पर 1500/– रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है । उक्ता आर्थिक सहायता फाउण्डेशन के कोष से दी जाती है । गत दो वर्षो में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में लाभान्वित छात्राओं की संख्या एवं वितरित राशि का विवरण निम्नानुसार है –

वर्ष	लाभान्वित छात्राओं की संख्या		कुल लाभा. छात्राएं	वितरित राशि		कुल वितरित राशि
	प्रार. शिक्षा	माध्य. शिक्षा		प्रार. शिक्षा	माध्य. शिक्षा	
2004–05	415	80	495	456500	120000	576500
2005–06	6128	1104	7232	6740800	1434800	8175600
योग	6543	1184	7727	7197300	1554800	8752100

सत्र 2006–07 में दिनांक 07.02.2006 तक कुल 10386 बालिकाओं के प्रस्ताव प्राप्त हैं जिनको आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

नन्ही कली योजना

उक्त योजना सत्र 2006–07 से केवल उदयपुर जिले में राजकीय विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों, पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिये यह योजना राज्य सरकार एवं के.सी.महेन्द्रा एज्यूकेशन ट्रस्ट द्वारा किये गये अनुबन्ध के आधार पर संयुक्त रूप से संचालित की गई है । उक्त योजना में लगभग 10000 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को 1800/– रुपये की शैक्षणिक सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी । उक्त योजना में कुल व्यय लगभग 1.80 करोड़ होगा जिसमें से 50 प्रतिशत राशि बालिका फाउण्डेशन द्वारा 4 किस्तों में के.सी. महेन्द्रा एज्यूकेशन ट्रस्ट को उपलब्ध करवायी जायेगी जिसमें से 36 लाख रुपये की प्रथम किस्त फाउण्डेशन द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है ।